

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 20/2017 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 19.01.2017

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—केशवसिंह यादव पुत्र लज्जाराम यादव उम्र 32 साल
निवासी ग्राम खेरिया जल्लू थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्त

(आरोप अंतर्गत धारा— 354, 323 भा0द0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य)

(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव)

निर्णय

(आज दिनांक 19-12-2017 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 06.01.17 को शाम लगभग 7:30 बजे ग्राम खेरिया जल्लू में अभियोक्त्री के निवासगृह में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने एवं उसी समय अभियोक्त्री की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा0द0सं की धारा 354 एवं 323 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 06.01.17 को शाम करीबन 7:30 बजे अभियोक्त्री अपने घर में बच्ची को लिटाकर बाहर निकली थी तभी आरोपी केशवसिंह यादव आया था और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा था वह चिल्लाई थी तो उसकी सास रामवती घर से बाहर निकल आई थी तो आरोपी उसका हाथ छोड़कर भाग गया था मौके पर उसकी सास रामवती एवं चचिया ससुर तेजसिंह आ गये थे जिन्होंने घटना देखी थी। पति के घर पर न होने से डर के कारण वह रिपोर्ट करने नहीं आ सकी थी। पति के आने पर उसने घटना की रिपोर्ट थाने पर की थी। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में अप0क्र0 05/17 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण

के कथन लेखबद्ध किए गए थे, आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान अभियोक्त्री द्वारा आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा0दं0सं0 की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा0दं0सं0 की धारा 354 के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 06.01.17 की शाम लगभग 7:30 बजे ग्राम खेरिया जल्लू में अभियोक्त्री के निवासगृह में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री अ0सा01 एवं साक्षी तेजसिंह अ0सा02 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोक्त्री अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 8-10 महीने पहले की है। उसके घर से पनारे का पानी निकल रहा था इसी बात पर उसका केशवसिंह से झगडा हो गया था जिसकी रिपोर्ट उसने थाने पर की थी रिपोर्ट प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं नक्शामौका प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके चिल्लाने पर उसकी सास रामवती घर के बाहर आ गयी थी तो केशवसिंह उसका हाथ छोड़कर भाग गया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात पुलिस रिपोर्ट प्र0पी-1 एवं न्यायालयीन कथन प्र0पी-4 में बतायी थी।

8. साक्षी तेजसिंह अ0सा02 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का

समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 8-10 महीने पहले उसके भतीजे की बहू से आरोपी का पनारे के उपर झगडा हो गया था । उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने भी अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना वाले दिन उसने आरोपी को उसके भतीजे की बहू का हाथ छोड़ते हुए देखा था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी बहू का बुरी नीयत से हाथ पकड़ा था ।

9. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि पनारे का पानी निकलने के उपर उसका आरोपी से झगडा हो गया था । उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि झगडे के दौरान आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा था । उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी-1 एवं न्यायालयीन कथन प्र0पी-4 में पुलिस को बतायी थी । साक्षी तेजसिंह अ0सा02 ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है तथा पनारे के उपर अभियोक्त्री का आरोपी से झगडा हो जाना बताया है उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने भी इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ने अभियोक्त्री का बुरी नीयत से हाथ पकड़ा था ।

11. इस प्रकार अभियोक्त्री अ0सा01 एवं तेजसिंह अ0सा02 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी द्वारा छेड़छाड करने से इंकार किया गया है । स्वयं अभियोक्त्री अ0सा01 ने इस तथ्य से इंकार किया है कि झगडे के दौरान आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा था । इस प्रकार अभियोक्त्री अ0सा01 एवं तेजसिंह अ0सा02 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी द्वारा छेड़छाड करने से इंकार किया गया है उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है । अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपी ने अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है ।

12. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल

रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 06.01.17 को शाम 7:30 बजे ग्राम खेरिया जल्लू में अभियोक्त्री के निवासगृह में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी केशव सिंह यादव को भा0द0स0 की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

14. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

15. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

स्थान—गोहद

दिनांक :-19.12.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला मिण्ड (म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला मिण्ड (म0प्र0)